झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (बजट)सत्र

संख्या-05

मंगलवार, दिनांक-23 जनवरी, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 01.04 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री राम कुमार पाहन ने झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा मे आरक्षण लागू किये जाने हेतु अनुरोध करते हुए विभिन्न राज्यों तथा संघ लोक सेवा आयोग में लागू नियमों का हवाला भी दिया जिसका समर्थन विभिन्न माननीय सदस्यों ने किया तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि वे इस मामले को देखेंगे तथा झारखण्ड राज्य के नवयुवकों के हित मे फैसला लेंगे,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने झारखण्ड राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों की उपेक्षा किये जाने की बात कही तथा झारखण्ड के जरमुंडी में आठ परीक्षार्थियों की सड़क हादसे में हुई मौत के लिए दस-दस लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की माँग सरकार से की तत्पश्चात् पुनः झारखण्ड के मुख्य सचिव एवं डी.जी.पी. को बर्खास्त किये जाने की माँग करते हुए सदन की वेल मे इस निमित्त साष्टांग दण्डवत् भी करने लगे(भारी शोरगुल),

iii- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा मे आरक्षण का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए तत्काल होनेवाली 29 जनवरी, 2018 को परीक्षा को स्थगित रखने की घोषणा सरकार करे जिसका समर्थन पक्ष-विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्यों ने भी किया, इसपर आसन द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसपर संज्ञान लिया गया है, इसलिए अब इसपर चर्चा अनुचित है और प्रश्नकाल को लिये जाने हेतु शांति बनाये रखने की अपील उन्होंने की,

iv- सदन के बाहर धरने पर बैठें माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव एवं श्री बादल को ससम्मान सदन में लाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी एवं श्री आलमगीर आलम ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इस अवसर पर आसन के निदेश पर माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा उक्त माननीय सदस्यों को धरनास्थल से सदन मे ससम्मान लाया गया,

v- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने राज्य के उर्दू पारा शिक्षकों को गत 14 माह से वेतन नहीं मिलने और पैसे के अभाव मे दो पारा शिक्षकों की मौत की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

vi- माननीय सदस्य, श्री बादल ने सड़क दुर्घटना में मारे गये परीक्षार्थियों के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की माँग की(शोरगुल),

P.T.O

vii- विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोप पर माननीय कल्याण मंत्री, श्रीमती लुईस मराण्डी ने विस्तार से वस्तुस्थिति को सदन के समक्ष रखा।

2.कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार द्वारा राज्य में भूख एवं शराब से हो रही मौतें तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सहायिका एवं सेविकाओं की समस्याओं पर चर्चा हेतु दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

3.विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा के प्रश्न पर शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये जवाब पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला चलाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया(शोरगुल),

ii- इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार काली टोपी(मास्क) पहनकर अपने स्थान पर खड़े हो गये जिसपर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों एवं मंत्री ने भारी आपत्ति दर्ज की,

iii-माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव पुनः डी.जी.पी. एवं मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की माँग करने लगे जिसका समर्थन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं काँग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी किया और वे नारेबाजी भी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.42 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी माँगों को लेकर विरोधस्वरूप काली टोपी (मास्क) पहनकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये जिसपर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी(भारी शोरगुल)।

4.आसन से नियमन:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने प्रस्ताव किया कि जिन माननीय सदस्यों ने काली टोपी(मास्क) पहनकर सदन की गरिमा को तार-तार करते हुए अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, आगे भी ऐसा न हो, इसपर रोक लगाना भी आवश्यक है, अतएव इन्हें आज भर के लिए सदन से निलम्बित किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में आसन से नियमन दिया गया कि <u>जिन माननीय सदस्यों द्वारा उक्त कृत्य किया गया है, उन्हें आज सदन से निलम्बित किया जाता है</u>, यह प्रस्ताव ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् आसन के निदेश से वे सभी माननीय सदस्य सदन से चले गये और इनके साथ-साथ अन्य विपक्षी सदस्य भी बाहर चले गये केवल माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही(नौ जवान संघर्ष मोर्चा), कार्यवाही पर्यन्त सदन में उपस्थित रहे।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष-2017-18 एवं सरकार की वित्तीय नीतियाँ तथा मध्यावधि वित्तीय योजना वर्ष-2017-18 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

P.T.O

6.वित्तीय कार्य:-

माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक का उपस्थापन सभा पटल पर किया गया तत्पश्चात् अपने बजटीय भाषण मे सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं झारखण्ड के वीर सपूतों का स्मरण दिलाते हुए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इन्होंने परम श्रद्धेय भारत रत्न, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन-**"समता के साथ ममता, अधिकार के साथ आत्मीयता, वैभव के साथ सादगी-नवनिर्माण** के प्राचीन आधार स्तम्भ है। इन्ही स्तम्भो पर हमे भावी भारत का भवन खड़ा करना है" का आगाज करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत संरचनाओ पर जोर दिया तथा मुख्य पाँच बिन्दुओं- ग्रामीण क्षेत्रो मे रहनेवाले परिवारो की आय को दोगुनी करना, रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना, अनुसूचित जनजाति/जाति एवं अभिवंचित वर्गो का विकास, महिला सशक्तीकरण, पिछले जिलों/प्रखण्डों का समेकित विकास इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं पर भी मुख्य रूप से जोर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण मे दिया गया और अंततः 62,744.44 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए एवं 17,455.56 करोड़ रुपये पूँजीगत व्यय के लिए कुल-80,200 करोड़ रुपये का बजट सदन को समर्पित किया। इसके उपरांत सभा की **कार्यवाही बुधवार, दिनांक-24, जनवरी, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक** के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 23, जनवरी, 2018 ई०।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

--x--